रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED No. D. (D.N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 5, 1983/ फाल्गुन 14, 1904

No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 5, 1983/PHALGUNA 14, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II —खण्ड 3 —उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1983

सा० का० नि० 177.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, कमाण्डेंट, उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी, बारापानी, मेघालय, के कार्यालय में ग्रुप "सी" और ग्रुप "डी" के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों को उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी (ग्रुप "सी" और ग्रुप "डी" पद) भर्ती नियम, 1983 कहा जाएगा।

(2) ये नियम, इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. लागू होना :—ये नियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान उक्त अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और योग्यताएं :—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

5. अयोग्यता :—कोई भी व्यक्ति,

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका/जिसकी पति/पत्नी जीवित हो ; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो ;

उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय कानूनों के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा किए जाने के अन्य कारण हैं तो उस व्यक्ति को इस नियम से छूट दी जा सकती है।

RULES

1. (1) These rules may be called the Motor Vehicles (Third Party Insurance) (Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Motor Vehicles (Third Party Insurance) Rules, 1946, in the Schedule, the Form-A shall be substituted as under namely :—

"FORM 'A'

Motor Vehicles Act, 1939

Certificate of Insurance

(See rule 4)"

Certificate No. Policy No.

1. Description of the vehicles insured :—
   (a) Registration mark and number.
   (b) Cubic capacity of the Vehicles.
   (c) Make and year of manufacture.
   (d) Carrying capacity.
2. Name and address of insured.
3. Effective date of commencement of insurance for the purposes of the Act.
4. Date of expiry of insurance.
5. Persons of classes of persons entitled to drive.
6. Limitation as to use.
7. Insurance premium.

I/We hereby certify that the policy to which this certificate relates as well as this certificate of Insurance are issued in accordance with the provisions of Chapter VIII of the Motor Vehicles Act, 1939.

(Authorised Insurer)
(India).

[F. No. TW/TGM(48)/82]
B. R. CHAVAN, Dy. Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1983

सा०का०नि० 192.—राष्ट्रपति, श्री एस०पी० भट्टाचार्य को 650-30-740-35-810- द० रो० 35-880-40-1000-द०रो० 40-1200 रुपये (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित लिपिक वर्गीय) के स्केल में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर 24-12-1982 से 6 महीने की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

[सं० 609/9/81-एफ० (एस०)]
ए०एन० बर्डियार, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 1st January, 1983

GSR 192.—The president is pleased to appoint Shri S. P. Bhattacharya as Administrative Officer on ad-hoc basis for a period of six months or till further orders whichever is earlier in the scale of Rs. 550-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 (General Central Service Group 'B' Gazetted Ministerial) w.e.f. 24-12-82

[No. 609/9/81-F(S)]
A. N. BARDAIYAR, Desk Officer

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1983

सा०का०नि० 193.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी, सिविल निर्माण स्कंध (श्रेणी I तथा II पद) भर्ती नियम, 1975 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी, सिविल निर्माण स्कंध (श्रेणी I तथा II पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी, सिविल निर्माण स्कंध (श्रेणी I तथा श्रेणी II पद) भर्ती नियम, 1975 की अनुसूची में, अवर मुख्य इंजीनियर (सिविल निर्माण) पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

अनुसूची

क्रम सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
"1.	मुख्य इंजीनियर	1* (1982) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित (अननुसचिवीय)	2250-2500 रु०	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।	प्रोन्नति : अधीक्षक इंजीनियर और सीनियर आर्किटेक्ट जिन्होंने अपनी-अपनी श्रेणी में 7 वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) अधीक्षक इंजीनियर या समतुल्य पंक्ति के ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में 7 वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की सिविल इंजीनियरी या समतुल्य उपाधि है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	1. (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति : (1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष (2) संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय —सदस्य (3) प्रमुख इंजीनियर, आकाशवाणी —सदस्य 2. (पुष्टि पर विचार करने के लिए) समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति : (1) सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय—अध्यक्ष (2) संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय —सदस्य (3) प्रमुख इंजीनियर, आकाशवाणी —सदस्य टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग से अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी किंतु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो, विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।	किसी अधिकारी का प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए चयन करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।"।

[सं० 301/4/82-बी (डी)]

एस० पी० उपासनी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :— आकाशवाणी, सिविल निर्माण स्कंध (श्रेणी I तथा II पद) भर्ती नियम, 1975 भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना सं० 301/9/72-बी (डी), तारीख 9 दिसम्बर, 1975 के अधीन सा०का०नि० सं० 147, तारीख 31 जनवरी, 1976 के साथ प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 14th February, 1983

G.S.R. 193.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes, the following rules to amend the All India Radio, Civil Construction Wing (Class I and Class II Posts) Recruitment Rules, 1975 namely:—

(1) These rules may be called the All India Radio, Civil Construction Wing (Class I and Class II Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio, Civil Construction Wing (Class I and Class II Posts) Recruitment Rules, 1975,—for serial number 1 relating to the post of Additional Chief Engineer (Civil Construction) and the entries thereto, the following serial number and entries will be substituted, namely:—

Sl. No.	Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Chief Engineer	1*(1982) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'A', Gazetted, (Non-Ministerial)	Rs. 2250-2500	Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment, by Promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	By promotion failing which by transfer on deputation.	Promotion : Superintending Engineers and Senior Architects with 7 years' regular service in the respective grade. Transfer on deputation: Officers under the Central Government/State Governments,— (a) (i) holding analogous posts; or (ii) officers of the rank of Superintending Engineer or equivalent with 7 years' regular service in the grades; (b) possessing degree in Civil Engineering of a recognised University or equivalent. (period of deputation shall not exceed 5 years).	1. Group 'A' Departmental promotion Comittee. (for considering promotion). : (1) Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman (2) Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting —Member (3) Engineer-in-Chief, All India Radio—Member 2. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confimation) ; (1) Secretary, Ministry of Information and Broadcasting—Chairman (2) Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting —Member (3) Engineer-in-Chief, All India Radio—Member Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Union Public Service	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while selecting an officer on appointment on deputation.

9	10	11	12	13	14
				Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.	

[No. 30/4/82-B (D)]
S.P. UPASANI, Jt. Secy.

Foot note :

The All India Radio Civil Construction Wing (Class I and II Posts) Recruitment Rules, 1975 were published under the notification of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. 301/9/72-B(D), dated the 9th December, 1975 with G.S.R. No. 147, dated the 31st January, 1976.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम विभाग)

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1983

सा. का. नि. 194 :—केन्द्रीय सरकार, चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 (1972 का 62) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि नियम, 1973 का कतिपय और संशोधन करना चाहती है । जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (i) में अपेक्षित है प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है । इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ।

ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर या उससे पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी ।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि (चौथा संशोधन) नियम, 1983 है ।

2. चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि नियम, 1973 में, —

(क) विद्यमान नियम 39 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"नियम 29 निरीक्षण—चूना-पत्थर या डोलोमाइट खानों के स्वामियों द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण केन्द्र का एक वर्ष से अनधिक अन्तरालों पर ऐसे अधिकारी द्वारा जो आयुक्त द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किया जाए या जब कभी आयुक्त ऐसा करना आवश्यक समझे, तब स्वयं उसके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा तथा यथास्थिति निरीक्षण अधिकारी या आयुक्त यह उपदर्शित करते हुए कि क्या केन्द्र विहित स्तरमान के अनुरूप है या नहीं प्ररूप "ग" में एक प्रमाणपत्र देगा जो दिए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि पर्यन्त विद्यमान रहेगा ।"

(ख) विद्यमान नियम 41 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"41. सहायता अनुदान की मात्रा—चूना-पत्थर या डोलोमाइट खान का प्रत्येक स्वामी जो अपनी खान में नियोजित श्रमिकों के फायदे के लिए ऐसा कल्याण केन्द्र चलाता है, जो नियम 38 के अधीन विहित स्तरमान के अनुरूप है और नियम 39 के अधीन निरीक्षण के अधीन है, सहायता अनुदान पाने का पात्र होगा जो 15,000 रुपये से या, कल्याण केन्द्र के निर्माण और उपस्कर पर स्वामी द्वारा व्यय की गई रकम के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।"

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचित सं. सा.का.नि. 1273, तारीख 15 नवम्बर, 1973 द्वारा प्रकाशित किए गए ।

तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	तारीख
1.	सा.का.नि 255	5 फरवरी, 1976
2.	सा.का.नि. 1063	8 अगस्त, 1978
3.	सा.का.नि. 550	1 मई, 1978

[एस-23012/1/82-डब्ल्यू. 2]

टी. डी. सलोत्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour)

New Delhi, the 21st January, 1983

G.S.R. 194.—The following draft of certain rules further to amend the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Rules, 1973 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 16 of the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972 (62 of 1972) is hereby published as required in sub-section (i) of section 16 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken